न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 42/2023 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
अलादीन पुत्र कुण्डाखान जाति मुसलमान, निवासी कानासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री बालाराम गोदारा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28.07.2023

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की पैतृक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा कानासर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 343, 344 रकबा क्रमशः 0.1214, 24.3620 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी को उनके पिता कुण्डाखान से विरासत में प्राप्त हुई है। वादी के पिता कुण्डाखान के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान के म्यूटेशन में वादी का वास्तविक नाम अंकित न करते हुए गलत नाम बोलचाल का नाम दीनेखान अंकित कर दिया गया जबकि वादी का सही एंव वास्तविक नाम अलादीनखान पुत्र कुण्डाखान है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में उसका सही एवं वास्तविक नाम अलादीनखान पुत्र कुण्डाखान दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दीनेखान पुत्र कुण्डाखान के स्थान पर अलादीनखान पुत्र कुण्डाखान नाम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव द्वारा नाम दुरस्ती के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट में एवं मौतबिरान से पुछताछ में वादी का नाम दीनेखान पुत्र कुण्डाखान के स्थान पर अलादीनखान पुत्र कुण्डाखान किया जाना उचित बताया गया है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा स्वतंत्र गवाह मठारखान द्वारा साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा अपने नाम दुरस्ती के संबंध में 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा अपना वास्तविक नाम अलादीनखान पुत्र कुण्डाखान होने के समर्थन में दस्तावेज यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेज पेश किये गये।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम दीनेखान पुत्र कुण्डाखान के स्थान पर अलादीनखान पुत्र कुण्डाखान होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दीनेखान पुत्र कुण्डाखान दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि में वादी का नाम अलादीनखान पुत्र कुण्डाखान दर्ज है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह द्वारा पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी का

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

म दीनेखान पुत्र कुण्डाखान के स्थान पर अलादीनखान पुत्र कुण्डाखान किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी वादी का वास्तविक नाम अलादीनखान पुत्र कुण्डाखान होना बताया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दीनेखान पुत्र कुण्डाखान के स्थान पर अलादीनखान पुत्र कुण्डाखान दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा कानासर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 343, 344 रकबा क्रमशः 0.1214, 24.3620 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम दीनेखान पुत्र कुण्डाखान के स्थान पर अलादीनखान पुत्र कुण्डाखान होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

कार्यालय सहायक कलेक्टर शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner